कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़

मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

फोन नं0 0771–4080934 फैक्स नं0 2221134

——————00——————

आदेश

रायपुर, दिनांक अप्रैल 2012

कमांक /सं स/राशिअ/2012., कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के प्रवास पर पधारे राज्य अतिथिगणों के परिवहन उपयोग हेतु ट्रेव्हल्स एजेंसियों के माध्यम से वाहन किराये पर लिए जाने हेतु इस आदेश के साथ संलग्न **''परिशिष्ट–अ''** में दर्शाये अनुसार नवीन किराया दर **''परिशिष्ट–ब''** में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है।

04/04/12

(सुनील कुमार अवस्थी)
राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

पृष्ठ.कमांक 159/संस/राशिअ/134/2012 रायपुर, दिनांक 04 अप्रैल 2012

प्रतिलिपि :–

01. अवर सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
02. अधीक्षक, छ0ग0 स्टेट गैरेज, मंत्रालय, रायपुर.
03. समस्त जिला कलेक्टर, प्रोटोकॉल शाखा, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ.

04/04/12

राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट – "अ"

कार्यालय, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवास पर पधारे राज्य अतिथिगणों के परिवहन उपयोग हेतु ट्रेव्हल्स एजेंसियों के माध्यम से किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का नवीन किराया दर निर्धारण।

(आदेश दिनांक से प्रभावशील)

क्र.	विवरण	किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रति दिन 100 कि.मी.	अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.
1	एक्स ट्रायल, टियेना, पसात, लैण्ड कूजर, सीआर व्ही, ऐकार्ड एवं समतुल्य वाहन	6500.00	8100.00	24.00
2	लूरा, न्यू बीटल, चारमी, कैपटिवा, एवं समतुल्य वाहन	6000.00	7500.00	21.00
3	येती, सोनाटा, न्यू जेट्टा, करोला, स्कोडा, आर्या, सिविक, कूज, एवं समतुल्य वाहन	1800,00	3500.00	17.00
4	वरना, ज्यालो, स्कापियो, इंनोवा, सफारी, होंडा सिटी, ओप्टरा, टवेरा, फोर्डफिस्ता, क्वालिस, एवं समतुल्य वाहन	1100.00	2000.00	14.00
5	फेबिया करडी, मैका, आई 20, एसेंट, न्यू स्फिट, स्फिट डिजायर, रिट्ज, जिप्सी, एसएक्स 4, पोलो, वेनटो, महिन्द्रा वेरिटो, बोलेरो, लीवा, ईटोस, पुन्टो, लीना, टीजेट, व्हीक्टा, ग्रान्ड, इंडिगो मांजा, इंडिगो सीएस, विस्ता, एम्बेसेडर, वेन्चुअर, टाटा सूमो, जाज, एविओ, बीट, एवं समतुल्य वाहन	900.00	1600.00	10.00
6	सेन्ट्रो, आई 10, मरूति 800, ओमनी, आल्टो, ए स्टार, वेगरआर, स्टेलो, ईको, रेवी, इंडिका व्ही 2, स्पार्क, एवं समतुल्य वाहन	600.00	1100.00	8.00

4/4/12

राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट – ''अ''

कार्यालय, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवास पर पधारे राज्य अतिथिगणों के परिवहन उपयोग हेतु ट्रेव्हल्स एजेंसियों के माध्यम से किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का नवीन किराया दर निर्धारण।

(आदेश दिनांक से प्रभावशील)

क्र.	विवरण	किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रति दिन 100 कि.मी.	अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.
1	एक्स ट्रायल, टियेना, पसात, लैण्ड कूजर, सीआर व्ही, ऐकार्ड एवं समतुल्य वाहन	6500.00	8100.00	24.00
2	लूरा, न्यू बीटल, चारमी, कैपटिवा, एवं समतुल्य वाहन	6000.00	7500.00	21.00
3	येती, सोनाटा, न्यू जेट्टा, करोला, स्कोडा, आर्या, सिविक, कूज, एवं समतुल्य वाहन	1800,00	3500.00	17.00
4	वरना, ज्यालो, स्कापियो, इंनोवा, सफारी, होंडा सिटी, ओप्टरा, टवेरा, फोर्डफिस्ता, क्वालिस, एवं समतुल्य वाहन	1100.00	2000.00	14.00
5	फेबिया करडी, मैका, आई 20, एसेंट, न्यू स्फिट, स्फिट डिजायर, रिट्ज, जिप्सी, एसएक्स 4, पोलो, वेनटो, महिन्द्रा वेरिटो, बोलेरो, लीवा, ईटोस, पुन्टो, लीना, टीजेट, व्हीक्टा, ग्रान्ड, इंडिगो मांजा, इंडिगो सीएस, विस्ता, एम्बेसेडर, वेन्चुअर, टाटा सूमो, जाज, एविओ, बीट, एवं समतुल्य वाहन	900.00	1600.00	10.00
6	सेन्ट्रो, आई 10, मरूति 800, ओमनी, आल्टो, ए स्टार, वेगरआर, स्टेलो, ईको, रेवी, इंडिका व्ही 2, स्पार्क, एवं समतुल्य वाहन	600.00	1100.00	8.00

4/5/12

राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–ब
नियम व शर्ते

1. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. तथा प्रति अर्द्ध दिवस 50 कि.मी. चलित सम्मिलित हैं जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।

2. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।

3. वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना आवश्यक होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिये।

4. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन/भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक ड्युटी के समय वर्दी में रहेगा।

5. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।

6. वाहन पर लाल बत्ती, पीली बत्ती, सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था वाहन मालिक को करना होगा।

7. किराये पर लिये गये वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।

8. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।

9. देयक तीन प्रतियों में मय लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ राज्य अतिथि महोदय के प्रस्थान के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक के माध्यम से किया जायेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

10. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी एजेंसी से लेने का अधिकार संबंधित विभाग का रहेगा।

11. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेव्हल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य एजेंसी से वाहन प्राप्त किया जावेगा।

12. शर्तो का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा, उसकी सीमा क्षेत्र रायपुर छ.ग. होगा।

14. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।

राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़